भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 981
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

मंत्रालय की मानव श्रम की आवश्यकता का आकलन

981. डा विनय पी सहस्रबुद्धे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अपने सभी विभागों और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में इनके कार्यकरण और प्रशासन हेतु मानव श्रम की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय और उसके सहयोगी संगठनों के तहत विभिन्न पदों पर नए कर्मियों की भर्ती करने से पहले परिपाटी के रूप में अल्प उपयोग में लिए गए मौजूदा मानव संसाधन को पुन: प्रशिक्षित करके उनकी पुनर्तैनाती की संभावना को तलाशा जाता है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जहां तक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत विभागों का संबंध है, मानव श्रम की आवश्यकता का ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इस मंत्रालय के कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुमोदन अपर्याप्त है और इसलिए, इस मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आदि जैसी संबंधित सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार अपने सेवाकाल के दौरान अनेक प्रशिक्षण करने होते हैं।

तथापि, जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) का संबंध है, उन्होंने सूचित किया है कि उनकी अनेक प्रक्रियाओं/कार्यों और कारोबार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा आंतरिक रूप से अथवा बाहरी व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा मानव श्रम की आवश्यकता का आकलन किया गया है। ये सीपीएसईज अनेक पदों के लिए नए व्यक्तियों की भर्ती करने से पहले विद्यमान मानव श्रम के पुनः प्रशिक्षण और उनकी कौशलता को बढ़ाने पर बल देते हैं।

****